प्रेसनोट

लोकसभा निर्वाचन 2019 में ऑनलाइन मिलेंगी अनुमतियां

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राजनैतिक दलों के द्वारा विभिन्न प्रकार की अनुमतियां हेतु आवेदन दिए जाते है। उपरोक्त अनुमतियों को सुगमतापूर्वक प्राप्त करने के लिए आयोग द्वारा एकल खिड़की (Single Window System) की व्यवस्था की गई है। अब सभी राजनैतिक दल/प्रत्याशी **https://suvidha.eci.gov.in URL** के माध्यम से विभिन्न प्रकार की अनुमतियों हेतु आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से कर सकेंगे। विशेष रूप से वाहनों की अनुमति रैली, जनसभा, हेलीकाप्टर, अस्थाई कार्यालय इत्यादि की अनुमति इस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे। पोर्टल पर मोबाईल नम्बर के माध्यम से एक बार रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात् सभी अनुमतियां login ID/Password से प्राप्त की जा सकेंगी एवं उनका स्टेटस पता कर सकते है। राजनैतिक दल के उम्मीदवार स्वयं/अपने एजेंट/पार्टी प्रतिनिधि/Election एजेंट आदि अपना लॉगिन स्वयं बना सकते है। इसके अलावा आयोग द्वारा यह भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है कि यदि राजनैतिक दल ऑनलाइन आवेदन नही भरना चाहते तो वे ऑफलाइन माध्यम से निर्वाचन कार्यालय को अपना आवेदन देकर वहॉ से ऑनलाइन फीड करा सकते है। इस प्रकार अब प्रत्याशियों को अनुमतियां प्राप्त करने के लिए आरओ/एआरओ के कार्यालय तक आने की आवश्यता नही होगी।